"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 मार्च 2014— चैत्र 4, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च, 2014

क्रमांक 2839/डी. 49/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2014

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

2. परिभाषाएं.

3. निरसन एवं व्यावृत्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 को निरसित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं.

(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख.

(ख) "निरसित अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000).

3. (1) नियत तिथि पर, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) निरसित हो जायेगा : निरसन एवं व्यावृत्ति.

परन्तु इस निरसन से प्रभावित नहीं होगा,-

(क) कोई अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित अथवा निर्दिष्ट कि गई है एवं ऐसा आवेदन, निगमन अथवा निर्देश, यथास्थिति, इस अधिनियम के संबंध में ऐसा करने हेतु लागू रहेंगे ; अथवा

(ख) कोई ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो "निरसित अधिनियम" के अधीन प्राप्त, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो ; अथवा

(ग) "निरसित अधिनियम" के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या होने दी गई किसी बात के परिणामों पर ; अथवा

(घ) "निरसित अधिनियम" के विरुद्ध कारित किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर ; अथवा

(ङ) इस धारा के खण्ड (क) से (घ) के अधीन किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपचार पर और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रवर्तित किये जा सकेंगे, जैसे कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था.

(2) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत तिथि को तथा नियत तिथि से निरसित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारिता, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अन्तर्गत पंजीकृत समझी जाएंगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधान, ऐसी सहकारिताओं को विनियमित करने के लिए लागू होंगे.

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सहकारिता के संचालक मण्डल द्वारा बनाई गई उप-विधियां और विनियम, जहां तक वे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) और उसके अधीन बनाये गये, नियमों के प्रावधानों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अंतर्गत परिवर्तित या विखंडित न कर दिए जायें.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2014

क्रमांक 2839/डी. 49/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2014)

THE CHHATTISGARH SWAYATTA SAHAKARITA (NIRSAN) ADHINIYAM, 2014

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Repeal and Saving.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2014)

THE CHHATTISGARH SWAYATTA SAHAKARITA (NIRSAN) ADHINIYAM, 2014

An Act to repeal the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty Fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita (Nirsan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force on ssuch date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointed day" means the date of commencement of this Act under sub-section (2) of Section 1.

(b) "Repealed Act" means the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

Repeal and Saving. 3. (1) On the Appointed Day, the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) shall stand repealed :

Provided that such repeal shall not affect.-

(a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to and such application, incorporation or reference as the case may be, shall be continued to be so in respect of this Act; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the "Repealed Act"; or

(c) the previous operation of the "Repealed Act" or consequences of anything already done or suffered thereunder s; or

(d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the "Repealed Act"; or

(e) any legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability under clause (a) to (d) of this Section and any such legal proceeding or remedy may be continued or enforced, as if this Act had not been passed.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in any law for the time being in force or in any contract, on and from the Appointed Day, the Co-operative registered under the Repealed Act shall be deemed to registered under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and the provisions of the said Act shall be applicable for regulation of such Co-operatives.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws and regulations made by the Board of Directors of the Co-operative under the Repealed Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and the rules made thereunder, continue in force until altered or rescinded under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा